



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 255 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2020

रायपुर, दिनांक : 16 / 09 / 2020

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2020 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2020 में अनुमोदन प्रदान किया गया है अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2020-21 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय
1	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद जिला- धमतरी (छ.ग.) pgcollegekurud@gmail.com Phone No.- 07705-223375 Mobile No.- 94242-19687	Permanent Affiliation B.A. - Hindi, English, History, Economics, Sociology, Political Sc. Non- Permanent Affiliation B.Sc. - English, Hindi, Physics, Chemistry, Math's, Botany, Zoology, Biotechnology-20 B.Com. B.A. - Geography. B.P.Ed. (50 Seat from Session 2010-11) B.Sc. I-Computer Sc.-(30 Seats), Microbiology.-(30 Seats) B.Sc. - IT -I,II,III (20 Seats) M.A. - Hindi, Geography , M.Com. M.Sc. - Chemistry, Botany, M.A. - History(20) M.Sc. - Physics, Zoology (20-20 Seat), M.A. English (30) M.Sc. Mathematics-20, M.A. Economics (25) M.Sc. - Biotechnology-(30 Seats) P.G.D.C.A. (30 seats) M.A. - Sociology (30 seats) M.A. - Political Sc. (30 seats)

निर्देश:-

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय एवं शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन किया जावे।
2. छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार होनी चाहिये।

आदेशानुसार,

8.16.20

विशेष कर्तब्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक : 256 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 16 / 09 / 2020

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा)/उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग/प्रभारी अधिकारी प्रेस
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वृष्टि अधीक्षक (अका.)